न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—145/2020 (2020/00278) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—चान्दी पुत्री श्यामलाल भील निवासी धूवाला तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

प्रार्थीया

बनाम

1—बालु पिता रामा जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—जीतु पिता रामा जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—मांगु पिता अमरचन्द जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—किशोरी बेवा अमरचन्द जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—नाथु पिता हासा जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
5/1—भैरू पिता नाथु जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5/2—गोपी पिता नाथु जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5/3—रोशन पिता नाथु जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—मोहन पिता मोजीराम जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—लेहरू पिता भुरा जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
7/1—राजु पिता माधु जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7/2—लालु पिता लेहरू जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7/3—मोती पिता लेहरू जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7/4—पारस पिता लेहरू जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7/5—रामी बेवा लेहरू जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—नारायण पिता लच्छीराम जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—रामा पिता लच्छीराम जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—बरदीचन्द पिता नारू भील निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—तुलछीराम पिता नारू भील निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — प्रार्थीया अधिवक्ता

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.04.05 17:38:10 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक—31.03.2021

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम माण्डकाखेड़ा पटवार हल्का माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 10 लगायत 12 की सामलाती खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 787 रकबा 0.76 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 82 पर दर्ज

रेकार्ड है जिसमें प्रार्थीया का सम्पूर्ण हिस्सा है शेष सहखातेदारो का है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। प्रार्थीया की आराजी संख्या 787 की उत्तरी पश्चिमी कोने पर आराजी संख्या 788 स्थित है जो वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 लगायत 9 के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण की आराजी संख्या 752 मुख्य रास्ते से लगती हुई है, जिसका पूर्वी पाली पर होते हुए आगे आराजी संख्या 752 जो मुख्य रास्ते से लगती हुई है जिसकी पूर्वी पाली पर होते हुए आगे आराजी संख्या 788 के पूर्वी कोने के सहारे सहारे होकर सदैव से अपनी आराजी संख्या 787 में आवागमन करती चली आ रही है तथा मौके पर उक्त रास्तेनुमा जगह छुटी हुई है। उक्त रास्ता प्रार्थीया की आराजी संख्या 787 में आवागमन, संज, बैल, ट्रेक्टर पैदल आदि द्वारा किया जाता रहा है। तथा उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीया की आराजी पहुँच का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है। विपक्षीगण की आराजियात में आवागमन करने में प्रार्थीया को बाधा एवं व्यवधान हर समय किया जाता रहा है। कई बार प्रार्थीया ने उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करान हेतु कहा गया लकिन विपक्षीगण इस हेतु तैयार नही हुए है। अतः प्रार्थीया की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी संख्या 787 में आवागमन करने का रास्ता जो विपक्षीगण की आराजी संख्या 752, 788 की पूर्वी पाली पर 15 फीट चौड़ाई में स्थित है को बिलानाम किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज कराये जाने व रास्ते में समायोजित भूमि की डीएलसी दर बतौर मुआवजा विपक्षीगण को दिलाई जाकर राजस्व रेकार्ड में किस्म बिलानाम गेमु रास्ता दर्ज कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम जारी फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 15.01.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 8, व 10, 11 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा विपक्षी संख्या 9 स्वयं उपस्थित होकर रास्ता देने में कोई आपत्ति नही करते हुए सहमति स्वरूप पत्रावली पर हस्ताक्षर किये गये। विपक्षी संख्या 12 फौरमल पक्षकार है।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि ग्राम माण्डकाखेड़ा के आराजी संख्या 787 रकबा 0.76 है. पर आवागमन का कोई रेकार्डेड रास्ता नही बना हुआ है। मौके पर आराजी संख्या 787 पर वर्तमान में आराजी संख्या 744 गे.मु. रास्ता से होकर आराजी संख्या 752 तथा आराजी संख्या 788 की उत्तरी पूर्वी मेड़ो के सहारे–सहारे संलग्न नक्शे में लाल स्याही दे दर्शाये अनुसार आवागमन किया जा रहा है। आराजी संख्या 752, 788 में रास्ता बना होकर लोहे की जालिया लगी हुई है। मौके पर आराजी संख्या 787 में आवागमन हेतु आराजी संख्या 752 एवं 788 में दर्शाये रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। आराजी संख्या 787 में आवागमन हेतु आराजी संख्या 752, 788 मे से होकर आवागमन किया जा रहा है। प्रार्थी की आराजी संख्या 787 पर आवागमन हेतु आराजी संख्या 752 रकबा 0.26 है0 मे से 0.03 है0 भूमि, आराजी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.04.05 17:38:10 IST
Reason: SelfAttested

788 रकबा 0.19 है0 मे से 40 वर्गमीटर भूमि की डीएलसी दर 28440 रूपये प्रति बीघा से 4478 रूपये का दुगुनी राशि 8956 रूपये बनती है। वर्तमान मे आराजी संख्या 787 रकबा 0.76 है0 में आवागमन हेतु जो रास्ता है उसे संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थीया लाल स्याही से दर्शाये गये रास्ते से ही होकर आवागमन करना चाहती है। आराजी संख्या 787 में आवागमन का कोई रास्ता नही है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीया को अपनी खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु मौके पर कोई राजकीय रास्ता दर्ज नही है और एकमात्र विपक्षीगण की खातेदारी भूमि में से होकर आवागमन का ही एकमात्र विकल्प है तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शे में प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते को लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है इसी अनुसार रास्ता दिया जाने का निवेदन किया गया। उपरोक्त विवरण के अनुसार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी आराजी सख्या 787 में आवागमन हेतु विपक्षी खातेदार की आराजी संख्या 752 रकबा 0.26 है0 मे से 0.03 है0 भूमि (पूर्वी मेड़ के सहारे–सहारे), आराजी संख्या 788 रकबा 0.19 है0 मे से 40 वर्गमीटर भूमि (उत्तरी पूर्वी कोने से 10 X 4 मीटर) की डीएलसी दर 28440 रूपये प्रति बीघा से 4478 रूपये का दुगुनी राशि 8956 रूपये मुआवजा राशि बनती है। उक्त राशि का प्रार्थीया द्वारा विपक्षी खातेदारान को भुगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.3.2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.04.05 17:38:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—145/2020 (2020/00278) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—चान्दी पुत्री श्यामलाल भील निवासी धूवाला तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

प्रार्थीया

बनाम

1—बालु पिता रामा जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—जीतु पिता रामा जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—मांगु पिता अमरचन्द जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—किशोरी बेवा अमरचन्द जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—नाथु पिता हासा जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
5/1—भैरू पिता नाथु जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5/2—गोपी पिता नाथु जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5/3—रोशन पिता नाथु जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—मोहन पिता मोजीराम जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—लेहरू पिता भुरा जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
7/1—राजु पिता माधु जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7/2—लालु पिता लेहरू जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7/3—मोती पिता लेहरू जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7/4—पारस पिता लेहरू जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7/5—रामी बेवा लेहरू जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—नारायण पिता लच्छीराम जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—रामा पिता लच्छीराम जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—बरदीचन्द पिता नारू भील निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—तुलछीराम पिता नारू भील निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर०टी०एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी आराजी सख्या 787 में आवागमन हेतु विपक्षी खातेदार की आराजी संख्या 752 रकबा 0.26 है० मे से 0.03 है० भूमि (पूर्वी मेड़ के सहारे—सहारे), आराजी संख्या 788 रकबा 0.19 है० मे से 40 वर्गमीटर भूमि (उत्तरी पूर्वी कोने से 10 X 4 मीटर) की डीएलसी दर 28440 रूपये प्रति बीघा से 4478 रूपये का दुगुनी राशि 8956 रूपये मुआवजा राशि बनती है। उक्त राशि का प्रार्थीया [illegible] विपक्षी खातेदारान को भुगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलान[illegible] रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो[illegible]

हुक्मनामा आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.04.05 17:38:10 IST
Reason: SelfAttested

31.3.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा